एसोचैम उ.प्र./2010-11/एफ-46/ 25 नवम्बर, 2010

कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ

प्रिय महोदय,

हमारे संज्ञान में लाया गया है कि कुछ रजिस्टर्ड खरीदार डीलरों को, जिन्होनें अन्य रजिस्टर्ड पार्टी से टैक्स इनवाइस के माध्यम से खरीद की है, विक्रेता पार्टी द्वारा किसी दशा में इस बिक्री पर कर नहीं जमा किये जाने पर, खरीददार पार्टी को वैट जमा करने के लिये नोटिस जारी किये जा रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि विक्रेता व्यापारी द्वारा की गयी बिक्री के समय उसके पास विभाग का वैट पंजीयन नम्बर उपलब्ध था। यह स्पष्ट रूप से क्रेता व्यापारी का उत्पीड़न है।

वाणिज्य कर विभाग के सचल दस्तों द्वारा पंजीकृत व अपंजीकृत व्यापारी दोनों से ही 40 % की जमानत जमा करायी जा रही है जबकि पूर्व में पंजीकृत व्यापारी से कर की दोगुनी तथा अपंजीकृत व्यापारी से 40 % की जमानत जमा करायी जाती थी।

हमारी प्रार्थना है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर समुचित आदेश/ स्पष्टीकरण शीघ्र पारित कराने की कृपा करें।

सादर,

भवदीय

(एस0 बी0 अग्रवाल)
महासचिव

प्रतिलिपि -
Shri Ram Chandra Singhal
President
The U.P. Roller Flour Millers’ Association
3x, Gokhley Marg, P.B. No. 212,
Lucknow